

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
42 / 2019

दायर दिनांक
20.05.2019

निर्णय दिनांक
30.03.2021

अनवान

1. मु० चान्दी पुत्री कंवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. मगनी पुत्री कंवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. माधु पुत्र कंवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. रामेश्वर पुत्र कंवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. भुरालाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. मेघराज पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. गैरूलाल पिता मेघराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. माधुलाल पिता मेघराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. मु० शंकरि पत्नी मगनीराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
7. शंकरलाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. भैरूलाल पिता छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री लक्ष्मीशंकर जाट
एक तरफा



अप्रार्थीगण
अप्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूदड़ी पटवार हल्का रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 236 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1365, 1366, 1396, 1824, 1825, 1849, 1851, 1853, 225, 226, 227, 229, कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और शेष अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थीगण 1 से 6 व 8 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण 1 से 6 व 8 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। व अप्रार्थी संख्या 7 के खिलाफ कार्यवाही ड्राप किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुनी गयी व कार्यवाही ड्राप की गई। इस पर हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा रूदड़ी पटवार हल्का रूदड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 236 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1365, 1366, 1396, 1824, 1825, 1849, 1851, 1853, 225, 226, 227, 229, कृषि भूमि प्रार्थीगण फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रुपये



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन